रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 2017/कार्तिक 24, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 338
No. 419] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 2017/KARTIKA 24, 1939 [N.C.T.D. No. 338

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

फा. सं. 98/सी.ओ.टी/डब्ल्यू. एफ.डी./16-17/5610-21.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नौरोजी नगर (वाणिज्यिक परिसर) नई दिल्ली के पुनर्विकास के निर्माण हेतू नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 10.10 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट0)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	स्थानांतरित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या	योग	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
नौरोजी नगर (वाणिज्यिक परिसर) नई दिल्ली ।	10.10	1454	11	1465	14650 (उपभोगी संस्था की ओर से 100% वन विभाग द्वारा किया जायेगा)
	10.10 (लगभग)	1454	11	1465	14650

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है।

(क) आवेदक यानि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 8,35,05,000 /–रुपये (आठ करोड़ पेतिंस लाख पांच हजार रूपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल रा ि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण 14.65 हेक्टेयर क्षेत्र में उपभोगी संस्था की ओर से वन विभाग द्वारा यमुना फ्लड प्लेन्स में अंडर कंस्ट्रक्शन सिग्नेचर ब्रिज और वजीराबाद बैराज के बीच गढ़ी मांडू गांव में प्रस्ताव के अनुसार किया जायेगा **।**	14650	रु. 8,35,05,000 /–	उप–वन संरक्षक (पश्चिमी)/वन अधिकारी

(ख) 100% क्षतिपूरक वृक्षारोपण 14.65 हेक्टेयर आवंटित क्षेत्र यमुना फ्लड प्लेन्स में अंडर कंस्ट्रक्शन सिग्नेचर ब्रिज और वजीराबाद बैराज के बीच गढ़ी मांडू गांव में किया जायेगा तथा उनका सात वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद निम्न प्रकार निगरानी की जाएगी**:-**

(i) 14650 पौधों का राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की ओर से वन विभाग द्वारा यमुना फ्लड प्लेन्स के नदीगत पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य के अनुसार और दिल्ली विकास प्राधिकरण के लैंडस्केप डिपार्टमेंट से प्लांटिंग स्कीम के अनुमोदन के बाद और माननीय एनजीटी के रिकमेन्डेशन द्वारा उपर दिए गए क्षेत्र में पत्र दिनांक 28.07.2017 के अनुसार किया जायेगा ।

(ग) माननीय एनजीटी ने 22.09.2017 के आदेश के अनुसार एम.ए. सं. 1154/ 2017 का निपटान करते हुए निम्नलिखित निर्देश और स्पष्टीकरण दिए हैं: -

(i) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम स्थल पर पहले बड़ी उचाई के पेड़ लगाएगा।

(ii) इस घटना में अगर स्थान कम हो, तो उस उद्देश्य के लिए डीडीए द्वारा आवंटित या पहले से ही आवंटित क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक पेड़ों को काटने से पहले, उनको प्रत्यारोपित करने के सभी संभव प्रयास करेगा।

(iv) इस घटना में आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है तो परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस परियोजना को रोकने हेतु का निर्देशन भी किया जा सकता है ।

(घ) उपरोक्त (सी) के अनुसार, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम अक्टूबर-नवंबर 2017 के महीने में प्लॉट के पीछे की ओर पिलखान और मौलसरी के 250 लम्बे पेड़ (करीब 3 मीटर ऊंचाई) लगाएगा। इसके अलावा वे फरवरी-मार्च 2018 के दौरान प्लॉट के सामने की तरफ 30 सेमी तक परिधि वाले पेड़ तथा झाड़ी वाली किस्मों सहित लगभग 150 मौजूदा पेड़ प्रत्यारोपण करंगे और अगर कुछ छोटे प्रत्यारोपित पेड़ दिल्ली की कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रहते तो उन पेड़ों के बदले नए पेड़ राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम अपने पत्र दिनांक 29.09.2017 में कहे स्थान व नक्शे के अनुसार वृक्षारोपण व प्रत्यारोपण करेंगी।

(ड) 1465 वृक्षों के हटाए/ प्रत्यारोपण से प्राप्त लकड़ी की नीलामी भूमि स्वामित्व संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार को राजस्व के रूप में जमा कर दी जाएगी।

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा पेड़ों की ऊपरी शाखांए (लोप्स एंड टॉप्स) की लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी मुफ्त में दिल्ली नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाए और प्राप्त रसीद को उप-वन संरक्षक (पश्चिमी) को जमा की जाये ।

(ड) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकडियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(च) क्षेत्र में अन्य 48 वृक्षों को किसी भी तरह से गिरने या क्षति नहीं होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
केशव चन्द्र, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 15th November, 2017

F. No.98/COT/WFD/16-17/5610-21- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 10.10 ha. (approx.) as detailed below from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act for construction of redevelopment of Nauroji Nagar (commercial complex), New Delhi.

Location.	Extent of Area. (ha.)	Number of trees required to be removed.	Number of trees required to be transplanted.	Total	Compensatory plantation required. (Number of trees)
Construction of redevelopment of Nauroji Nagar (commercial complex), New Delhi.	10.10	1454	11	1465	14650 (100% by Forest Department on behalf of User agency).
	10.10 (approx)	**1454**	**11**	**1465**	**14650**

The said exemption is subject to fulfilment of the following conditions:-.

a) The applicant viz NBCC Delhi shall make an advance deposit of an amount of Rs. 8,35,05,000 /- (Rupees Eight Crore Thirty Five Lakh Five Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

Project No.	Location of Compensatory Afforestation plantation.	Number of saplings to be planted (Number of trees).	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
1.	100% compensatory plantation will be done by Forest Department on behalf of User Agency over an area of 14.65 ha. in Garhi Mandu Village in Yamuna Flood Plains between the under construction Signature Bridge and the Wazirabad Barrage as per proposal.	14650	8,35,05,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer

b) 100% compensatory plantation will be raised and maintained for Seven years and monitored till its successful establishment in following manner in the 14.65 ha area allotted in Garhi Mandu Village in Yamuna Flood

Plains between the under construction Signature Bridge and the Wazirabad Barrage by DDA as per letter No. F.1(39)DD-I/LS/ YRFD/ 2015/Vol-I/85 dated 28.07.2017 :-

(i) 14650 numbers by Forest Department on behalf of NBCC as per riverine ecosystem function of the floodplains and after approval of the planting scheme from Landscape Department of DDA and recommendation of Hon'ble NGT in the above indicated site as per letter dated. 28.07.2017.

c) The Hon'ble NGT while disposing off the MA No. 1154/2017 vide order dated 22.09.2017 has given following directions and clarifications:-

(i) The NBCC shall plant the tall trees at the venue site in question at the first instance.

(ii) In the event, the said space fall short, then the plantation shall be done with tall plants at the site allocated or already allocated by DDA for that purpose.

(iii) The Project proponent shall make all possible efforts to transplant the trees at the first instance rather than cutting the trees.

(iv) In the event the order is not complied with, the Project Proponent shall be liable to pay environmental compensation and even we will direct the stoppage of the project going on.

d) In the light of (c) above, the NBCC shall be planting 250 tall trees (around 3 mt. height) of Pilkhan and Maulsari on the rear side of the plot in the month of Oct-Nov, 2017. They shall also transplant around 150 existing trees including shrub varieties having girth upto 30 cm in the front side of the plot during Feb-March, 2018 and in case some small transplanted trees do not survive the harsh conditions of Delhi then new trees shall be planted in their place as per their letter dated 29.09.2017 and as per the drawing showing the proposed location of plantation as well as transplantation of trees in accordance with map submitted by NBCC with the proposal.

e) The timber obtained from felling/ transplant of 1465 trees shall be auctioned by the land owning agency and the proceeds shall be deposited as revenue to the Government.

f) The lops and tops obtained on removal of trees shall be handed over by the National Buildings Construction Corporation (NBCC) to the officials concerned of Municipal Corporation of Delhi for its use on public crematoria in Delhi free of cost and receipt obtained may be deposited with DCF (West).

g) Before shifting of timber if any, from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (West).

h) The other 48 trees in the area will not be harmed in any manner.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

KESHAV CHANDRA, Secy. (Env. & Forests)

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.16 22:48:06 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.